निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 49/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

महेन्द्र उर्फ नवीन कुमार पुत्र श्री हीरा जाति माली निवासी ग्राम हरमाडा, पटवार क्षेत्र. हरमाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार सौनी पुत्र बिरदी चन्द जाति माली निवासी ढाणी जोडला, तेजाजी के मन्दिर के पास, वी कें आई ए, सीकर रोड, जयपुर ।
2. विजय कुमार पुत्र हीरालाल
3. दीपक उर्फ दीपचन्द पुत्र हीरालाल
4. श्रीमती बोदी देवी पत्नी स्व॰ श्री हीरालाल
5. लाली पत्नी श्री गोपाल
6. कमल पुत्र गोपाल
7. मोहन पुत्र गोपाल
8. गुड्डी पुत्री गोपाल
9. पियूष पुत्र गोपाल
10. राकेश पुत्र गोपाल
11. दिनेश पुत्र गोपाल
12. रिंकी पुत्री गोपाल
13. कालूराम पुत्र माना
14. कल्याण पुत्र माना
15. अजय कुमार पुत्र कजोड
16. कैलाश पुत्र कजोड
17. श्रीमती बादामी पत्नी स्व॰ श्री गोविन्द सैनी
    निवासीयान ढाणी जोडला, तेजाजी के मन्दिर के पास, वी के आई एरिया, सीकर रोड, जयपुर ।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर।
19. उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर)।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 भू राजस्व अधिनियम एवं धारा 24 सपठित धारा 151 सी पी बाबत उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 15/2013 ब उनवानी महेन्द्र कुमार उर्फ नवीन

प्र॰
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कुमार बनाम राजेन्द्र कुमार सैनी को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री सत्यनारायण शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री दिनेश कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 25.07.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के समक्ष प्रकरण संख्या 15/2013 ब उनवानी महेन्द्र कुमार उर्फ नवीन कुमार बनाम राजेन्द्र कुमार सैनी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण में पूर्व दिनांक 15.02.2023 नियत थी जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये तो देखा कि पत्रावली पर सुबह 11.30 बजे पहले ही यह आर्डर पारित कर दिया कि पटवारी समस्त दस्तावेज लेकर दिनांक 21.2.2023 को मौके पर उपिस्थत हो। जिसकी जानकारी प्रार्थी अधिवक्ता ने चाही तथा कहा कि आर्डरशीट लिख दी गई है । अब कुछ नहीं हो सकता। जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त पत्रावली पर ऐसा कोई पत्र पैण्डिग नही था जिसमें मौका रिपोर्ट की जावे तथा उसका मौका मुआयना किया जावे न ही पत्रावली पर वर्तमान पर ऐसी कोई परिस्थिति क्रिएट हुई है जिससे कि उक्त आदेश किया जाता क्योंकि पत्रावली वर्तमान मे तनकीयात में नियत थी। जिसमें तनकी कायम की जाती। ऐसा नहीं किया जाकर मनमाना आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त आदेश से साफ जाहिर है कि प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 मिलीभगत करके उक्त आदेश पारित किया गया है जो कि किस भी रूप से न्याय की परिभाषा में नही आता है। केवल मिलीभगत का परिणाम है इसलिए उक्त पत्रावली अन्य न्यायालय में ट्रान्सफर किया जाना आवश्यक है। उक्त मनमाने आदेश से साफ जाहिर है कि प्रतिवादी संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से अथवा बिना किसी कारण से दिनांक 15.05.2023 को जो आदेश पारित किया है जिसमें प्रार्थी को न्याय मिलने की आशा कम नजर आती है। अप्रार्थी के साथ उसके अधिकारों का कोई कुठाराघात नहीं होगा इस

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कारण उक्त प्रार्थना पत्र को ट्रान्सफर किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रभावशाली है तथा धमकी देता है कि उसकी ऊपर तक पहुंच है। जैसा चाहे पत्रावली में निर्णय करा लेगा जो कि कॉल्यूजन व सांठ गांठ के आधार पर प्रकरण की पत्रावली का निस्तारण करवाना चाहता है इसलिए भी प्रकरण की पत्रावली को स्थानान्तरण अन्य न्यायालय में किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने झूंठे एवं काल्पनिक आरोप लगाते हुये मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने एवं प्रार्थी को परेशान करने के उद्वेश्य पेश किया गया है जिसके समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 25.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर